

STATEMENT-VII- SCHEDULE OF RATES OF TAXES/ ELECTRICITY & WATER TARIFF/ USER CHARGES ETC.**TAX DEPARTMENT****A. Property Tax:-**

	Lands and Buildings or part thereof	Rate of Tax
1	Where the rateable value does not exceed Rs. 10 lacs.	20% of the rateable value.
2	Where the rateable value exceeds Rs. 10 lacs but does not exceed Rs. 20 lacs.	Rs. 2,00,000/- plus 25% of the amount by which the rateable value exceeds Rs. 10 lacs.
3	Where the rateable value exceeds Rs. 20 lacs.	Rs. 4,50,000/- plus 30% of the amount by which the rateable value exceeds Rs. 20 lacs.

Exemptions, Rebates and Vacancy Remissions admissible as per rules.

B. Tax on Vehicles and animals:

As per Schedule-II of the NDMC Act at NIL rate.

C. Theatre Tax:

As per Schedule-III of the NDMC Act at NIL rate.

D. Tax on advertisements other than advertisements published in the Newspapers:

As per Schedule-IV of the NDMC Act at maximum rate.

E. Duty on transfer of property:

Duty on transfer of property on the instruments specified in Sec. 93(2)(b) and on instruments presented for mutation under Sec. 74, at the following rate:

- (a) 2% in case the transferee is a woman to the extent of her share in the property,
- (b) 2.5% in case the transferees are persons other than women.

F. Tax on building payable along with the application for sanction of the building plan:

As per Schedule-V of the NDMC Act.

G. Tax on Electricity:

@ 5% of the tariff fixed by DERC for consumption, sale or supply of electricity.

विवरण-VII- कर की दरों/विद्युत एवं जल दर/प्रयोग प्रभार आदि की अनुसूची
कर विभाग

क. सम्पत्ति कर

	भूमि तथा भवन अथवा उसका भाग	कर की दर
1.	जहाँ कर योग्य मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक न हो ।	कर योग्य मूल्य का 20 प्रतिशत
2.	जहाँ कर योग्य मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 20 लाख रुपये से अधिक न हो	2,00,000/- जमा 10 लाख रुपये से अधिक कर योग्य मूल्य का 25 प्रतिशत
3.	जहाँ कर योग्य मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक हो	4,50,000/-रुपये जमा 20 लाख रुपये से अधिक कर योग्य मूल्य का 30 प्रतिशत हो

रियायत, छूट तथा रिक्ति छूट नियमों के अनुसार स्वीकृत है

ख वाहनों तथा पशुओं पर कर

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की अनुसूची-11 के अनुसार-शून्य दर

ग. थियेटर कर

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की अनुसूची-11 के अनुसार-शून्य दर पर

घ. समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की अनुसूची-4 के अनुसार अधिकतम दरों पर

ड. सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर शुल्क

धारा 93 (2) (ख) में वर्णित विलेखों पर सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर शुल्क तथा धारा-74 के अन्तर्गत नामांतरण हेतु प्रस्तुत विलेख पर निम्नलिखित दरों से शुल्क:

- अ) हस्तान्तरी के महिला होने पर सम्पत्ति में उसके हिस्से की सीमा तक 2 प्रतिशत
ब) हस्तान्तरी के महिला के अतिरिक्त व्यक्तियों के मामले में 2.5 प्रतिशत

च भवन नक्शे की स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ भवन पर कर के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार

छ विद्युत पर कर

विद्युत की खपत, बिक्री अथवा आपूर्ति हेतु दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क-दरों का 5 प्रतिशत